

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, जिला-धार (म.प्र.)**

क्रमांक / 11057 / भू-अर्जन / 2021

धार दिनांक 22-11-2021

अ.वि.अ.कृषी का प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2020-21

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में थाना तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम **घुड़दलिया** तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

**अनुसूची (01)**

ग्राम - घुड़दलिया

तहसील - कुक्षी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	थाना तालाब योजना में प्रभावित होने से	0.655	0.000	0.655
	योग	<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>

**अनुसूची (02)**

थाना तालाब योजना में अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - घुड़दलिया

तहसील - कुक्षी

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सूरपसिंह पिता नानका जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68/1	0.655	0.000	0.655	0.655	0.000	0.655
	योग:-		<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>	<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>

म.प्र.शासन के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. पंकज जैन)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
म.प्र.शासन राजस्व विभाग,  
जिला-धार (म.प्र.)